Jindal Steel and Power Ltd. (JSPL)

Public Notice

In compliance to the provisions of the Electricity Act, 2003 Section 62 and 86 and the CSERC (Terms and conditions for Determination of Tariff according to Multi Year Tariff Principle, Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from the Tariff and Charges) Regulations, 2021, M/s. Jindal Steel and Power Ltd. (JSPL) has filed a Petition before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for the determination of Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2024-25, tariff for FY 2024-25 and revised estimate of FY 2023-24 along with True-up for the year FY 2022-23 for its licensed distribution business. This petition is registered as petition no. 101 of 2023.

In the petition, M/s JSPL has requested Commission to approve true-up of ARR 717.99 Crs for FY 2022-23, revised estimated of INR 822.36 Crs for FY 2023-24 and estimated ARR of INR 770.44 Crs. for 2024-25.

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in and/ or to Mr. Z.Ali, DGM, Electrical Power System, Jindal Steel & Power Limited, Post Box No. 16, Kharsia Road, Raigarh – 496001 within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition also available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 200/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

M/s. Jindal Steel & Power Ltd.
Kharsia Road, Patrapali, Dist. Raigarh 496001

जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (जेएसपीएल)

आमसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व अवधारणा हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के अनुपालन में मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण साथ ही वित्तीय वर्ष 2022–23 के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के ट्रू–अप हेतु याचिका को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्र. 101/2023 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

मेसर्स जेएसपीएल द्वारा उपरोक्त याचिका में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक अनुमानित राजस्व आवश्यकता रू.770.44 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संशोधित अनुमानित रू.822.36 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के ट्रू–अप हेतु रू.717.99 करोड़ को मान्य करने हेतु निवेदन किया गया है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001, ईमेल cserc.sec.cg@nic.in के समक्ष एवं/या श्री जेड. अली (डीजीएम), इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम, जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के कार्यालय पोस्ट बॉक्स नं.–16, खरसिया रोड, रायगढ़ पिन–496001 (छ.ग.) में प्रस्तुत की जा सकती है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 200/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना, आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड,
खरसिया रोड, पत्रापाली, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) पिन–496001